

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-121/2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46)

महादेव तिडू

- विक्रेता

ओलिभ रशमी गुड़िया वो श्वेता किरण गुड़िया - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर											
28.06.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक महादेव तिडू पिता स्व० सामु मुण्डा ग्राम मुण्डा कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने 1. ओलिभ रशमी गुड़िया वो 2. श्वेता किरण गुड़िया पिता जेम्स स्टेवन गुड़िया ग्राम कुंजला एस०डी०ए० सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="316 745 1347 829"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुंजला</td> <td>249</td> <td>30</td> <td>119</td> <td>0.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 035195 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 545(II)/रा० दिनांक 28.06.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत का नाम लाडो मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार चोड़ेया मुण्डा वगैरह के नाम कुल रकबा 38.13 एकड़ है। आवेदक के हिस्से में रकबा 3.68 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 10000.00 (दस हजार) प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.49 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमिक्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण महादेव तिडू पिता स्व० सामु मुण्डा को 1. ओलिभ रशमी गुड़िया वो 2. श्वेता किरण गुड़िया पिता जेम्स स्टेवन गुड़िया के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 30, खेसरा संख्या 119 का कुल रकबा 0.19 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10000.00 (दस हजार) प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">28-6-2018</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">28-6-2018</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कुंजला	249	30	119	0.19	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
कुंजला	249	30	119	0.19								